का॰ज्ञा॰ सं॰ 12021/1/2004-रा॰भा॰ (का-2), दिनांक 4.1.2005

विषय: संसदीय राजभाषा समिति के प्रतिवेदन के खण्ड-6 में की गई सिफारिशों पर सरकार के निर्णय को कार्यान्वित करने के संबंध में।

उपर्युक्त के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 4(1) के अधीन गठित संसदीय राजभाषा समिति ने अपने प्रतिवेदन के खण्ड-6 में अन्य सिफारिशों के साथ-साथ निम्नलिखित सिफारिश भी की है:-

संस्तुति सं॰ 11.5.4: द्विभाषी रूप में उपलब्ध टाइपराइटों व अन्य यंत्रों पर हिन्दी का प्रयोग अपेक्षित मात्रा में नहीं हो रहा है अत: इसे बढ़ाने हेतु ध्यान दिया जाए।

आदेश: समिति की यह सिफारिश स्वीकार कर ली गई है। राजभाषा विभाग द्वारा इस बारे में निदेश जारी किए जाएं।

उल्लेखनीय है कि इस विभाग द्वारा दिनांक 30 मई, 1985 के का॰ज्ञा॰ सं॰ 12015/12/85-रा॰भा॰/.ख-1, दिनांक 31 अगस्त, 1987 के का॰ज्ञा॰ सं॰ 12015/12/84-रा॰भा॰/त॰क॰ एवं दिनांक 25 मई, 1990 के का॰ज्ञा॰ सं॰ 12015/18/90-रा॰भा॰/त॰क॰ द्वारा सभी मंत्रालयों/विभागों आदि से द्विभाषी उपकरणों की उपलब्धता तथा उन्हें प्रयोग में लाने हेतु अनुरोध किया गया था लेकिन संसदीय राजभाषा समिति के अनुसार द्विभाषी रूप में उपलब्ध यंत्रों पर हिंदी का प्रयोग अपेक्षित मात्रा में नहीं हो रहा है।

अत: सभी मंत्रालयों/विभागों आदि से पुन: अनुरोध है कि द्विभाषी उपकरणों पर हिंदी का प्रयोग वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप किया जाए।

कृपया इस कार्यालय ज्ञापन की जानकारी अपने सभी संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों/नियंत्रणाधीन निगमों आदि को भी दें तथा इससे संबंधित एक प्रति राजभाषा विभाग को भी उपलब्ध करवा दें।